Page Three Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

पिछले चार साल से बंद पड़ी है खुशियों की सवारी

जिम्मेदार कौन ?

गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट वाहन बुक कराकर जिला मुख्यालय से घर जाना हुई मजबूरी

निर्मल भट्ट। विशेष रिपोर्ट।

पिथौरागढ़। सीमांत जनपद मुख्यालय में पिछले चार साल से खुशियों की सवारी सेवा बंद पड़ी है। अब तक इसके संचालन के लिए संबधित महकमा कोई विशेष पहल तक नही कर पाया है। बता दें कि सीमांत में खुशियों की सवारी के बंद होने से प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को अपने खर्च पर प्राइवेट वाहन बुक कराकर अपने घरों को मजबूर होकर जाना पड़ रहा है। वही ऐसे में निजी टैक्सी संचालक इनसे मनमांगे पैसे वसूल रहे है। दूसरी ओर गरीब लोगों को मंहगें दाम देने को दो चार होना पड़ रहा है।

सीमांत जनपद में खुशियों की सवारी के बंद होने से आम जन को खासी मजबूरी और फजीहत झेलनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक उतराखंड में खुशियों की सवारी के होने से सूदूर पर्वतीय गांवों के गर्भवतियों व जच्चा व

बच्चा को लाने में मदद का काम करती थी। अबतक इसके शुरू न हो पाने से सीमांत जनपद की गर्भवतियों की मुशिकिलें और भी ज्यादा बढ़ने लगी है।

सीमांत प्रदेश में उतराखंड सरकार के पहल पर कैपा संस्थान के द्वारा सीमांत प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को करीबन एक सौ बीस खुशियों की सवारी दी गई थी। वही ऐसे में गंभीर रूप से बीमार बच्चों व गर्भवतियों को हायर सेंटर भेजने में ये वाहन खासा मददगार साबित होते थे। अब तक सीमांत जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों में खुशियों की सवारी के शुरू होने पर संशय के बादल मंडराने लगे है।

सीमांत जपनद में वर्तमान में हालात यह है कि जिले में नौ खुशियों की सवारी का संचालन होता था। पिछले चार सालों से खुशियों की सवारी का संचालन बंद होने से दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। जिला अस्पताल में पड़ी दो खुशियों की सवारी के वाहन अब जंग खा रही है। आलम यह है कि सीमांत जनपद मुख्यालय के अस्पताल के साथ ही अन्य दूर दराज के पर्वतीय अस्पतालों में पड़ी खुशियों की सवारी का वाहन अब बिल्कुल भी चलने की हालत में नही है।

इस मामले पर जिला सीएमओं डाक्टर हरीश चंद्र पंत ने भी माना है कि सीमांत जनपद में लंबे समय से खुशियों की सवारी बंद पडी हुई है। अभी इसके संचालन को लेकर लंबा वक्त लगने के आसार है। इस मामले में सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। शासन से आदेश आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

मोरी के ओडाठा-मोरा को जोडने वाला झूला पुल हादसा को न्योता देता

संवाददाता पुरोला। विकासखंड मोरी के ग्राम पंचायत ओडाठा के मोरा–ओडाठा को एक मात्र जोडने वाला टोंस नदी पर बना वर्षो पूर्व झूला पुल दुर्घटना को न्योता दे रहा है किसी भी समय बडी दुर्घटना हो सकती है। झूला पुल मे जगह–जगह गडे बने हुये है ग्रामिणों का एक मात्र आवा–जाही करने का यही पुल है जिसमें आवा–जाही करने में ग्रामिणों को भारी परेशानी हो रही है। इस संबद में सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन चौहान, दिनेश रावत, आदि ने डीएम को ज्ञापन भेज कर झूला पुल को ठीक करने की मांग की है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने की एनपीसीआई के साथ साझेदारी

संवाददाता हरिद्वार। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों को यूपीआई ऑटो–पे सुविधा प्रदान करने के लिए एनपीसीआई के साथ करार किया है। इससे ग्राहकों को अब घर बैठे–बैठे ही बीमा पॉलिसियां खरीदने और प्रीमियम का भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अपने ग्राहकों को यूपीआई ऑटो–पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है।

आकाश इंस्टीट्यूट के 4 छात्रों ने सीबीएसई दसवीं में 99 प्रतिशत हासिल किए

संवाददाता हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार के 4 छात्रों ने सीबीएसई दसवीं कक्षा बोर्ड 2021 में 99 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं जो कि आकाश संस्थान के पाठ्यक्रम और प्रोग्रामों की उत्कृष्टता के प्रमाण हैं शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों में आदित्य अरोड़ा ने 99.8 प्रतिशत श्रेया कंडवाल ने 99.6 प्रतिशत रवित चतरथ ने 99.4 प्रतिशत और दीपिका जायसवाल ने 99.2 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। आकाश इंस्टिट्यूट छात्रों को उनकी कक्षा के मुताबिक गणित विज्ञान और अन्य विषयों में सभी मूलभूत अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करने में मदद करता है, ताकि वे बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें अपने छात्रों का स्कूल के विषयों में आधार मजबूत करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सरकार पर बरसीं आशाएं आपार के संघर्ष का ऐलान

संवाददाता अल्मोड़ा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा व सम्मानजनक वेतन के लिए आंदोलित फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा आशा कार्यकर्ता जनपदभर में दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर अड़ी रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कोरोनाकाल में दी गई ड्यूटी के भत्ते का भुगतान तक दबा बैठी है। दो टूक कहा कि जब तक आशाओं के हित में त्वरित कदम नहीं उठाया जाता, तब तक काम पर नहीं लौटेंगी।

सम्मान व वेतन के मुद्दे पर लामबंद आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिलेभर में प्रदर्शन कर जिला व तहसील मुख्यालयों में धरना दिया। उपेक्षा के खिलाफ सरकार पर गुबार निकाला। महिला चिकित्सालय में धरने के दौरान सभा भी हुई। इसमें विजय लक्ष्मी, ममता तिवारी, पूजा बगडवाल, चंदन बिष्ट, किरन साह, तारा चौहान, ममता भट्ट, कौशल्या बिष्ट, पुष्पा रावत, तुलसी देवी, नीमा देवी भागा लटवाल, बसंती देवी, भगवती आर्या, गीता लाल आदि मौजूद रहीं।

रानीखेत में नारेबाजीः नागरिक चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की। संगठन की जिला उपाध्यक्ष मीना आर्या, ब्लॉक अध्यक्ष कमला जोशी, भावना बिष्टड्ढ, गीता सजवाण, शोभा पंत, दया जोशी, गीता देवी, निर्मला पांडे, रेखा आर्या, नीतू रावत, किरण मेहरा, गरिमा, सरोज चौधरी आदि मौजूद रहीं।

स्याल्दे में आवाज बुलंदः यहां भी आशाएं कार्य बहिष्कार पर रहीं।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून।

संख्या–259 / ल.सिं. / निविदा / 2020–21 **अल्पकालीन निविदा** दिनांकः 24 / 07 / 2021

अधोहस्ताक्षरी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से निम्न कार्यों की सील बन्द निविदायें दिनांक 10.08.2021 को विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से अपराहन 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 3.00 बजे अपराहन लघु सिंचाई उपखण्ड, देहरादून में अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी। उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 07.08.2021 से दिनांक 09.08.2021 को सांय 4.00 बजे तक उपखण्ड देहरादून में बेची जायेंगी। कार्यो। से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी एवं विभागीय शर्तें आदि किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की लागत 3% धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य + जी.एस.टी.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	निविदा की वैधता (माह में)	पंजीकरण श्रेणी
1.	वार्ड–25, कांवली रोड, एमडीडीए कालोनी में सी.सी. रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	18500.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
2.	वार्ड–20, रेसकोर्स गुरूद्वारा, गोविंद नगर में दलजीत सिंह के घर से रोमी बुटिक तक रोड बाईडिंग का कार्य।	23000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर
3.	वार्ड–25, लक्ष्मण चौक पार्क मे गुरूनानक दरबार से दीपक पंत जी के घर तक सी.सी. रोड एवं के.सी. नाली का कार्य।	24000.00	1000+ जी.एस.टी.	04 माह	45 दिन	डी एवं उच्चतर

निविदा की शर्तेः–

1. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ कार्य की अनुमानित लागत का 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र , डाकघर सावधि जमा पासबुक तथा किसी भी बैंक द्वारा निर्गत एफ.डी.आर., सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के नाम बंधक हो, स्वीकार की जायेगी।
2. निविदा के साथ रू. 100.00 का स्टाम्प पेर पर रू. 1.00 की रसीदी टिकट हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
3. धरोहर धनराशि के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा के शेष नियम निविदा प्रपत्र पर भी देखे जा सकते हैं।
6. बिना सील्ड /बन्द लिफाफे के प्राप्त निविदा प्रपत्रों व सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. लिफाफे पर कार्य का नाम लिखना अनिवार्य होगा।
8. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक से मांगना चाहता है, तो वह निविदा प्रपत्र का मूल्य डाक व्यय सहित समय से भेजकर प्राप्त कर सकते हैं,विलम्ब से डाक प्राप्त होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. निविदा में शेडयूल बी0 की मदवार कार्य की अंकित मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है,जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदा स्वीकृत होने पर 7 दिन के अन्दर धरोहर धनराशि समायोजित करते हुए पूरी 10 प्रतिशत जमानती धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी और 10 प्रतिशत धनराशि जमा करने के बिना अनुबन्ध किसी भी परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा।
11. प्राविधिक परीक्षक (टी0ए0सी0) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य पर यदि कोई कमी पायी जाती है, या कोई वसूली निकाली जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार को वहन करना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर टी0ए0सी0 की जांच के उपरांत ही ठेकेदार की जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
12. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार आयकर / जी.एस.टी. / रायल्टी एवं अन्य की कटौती की जायेगी।
13. यदि शासन स्तर / उच्च स्तर से कहीं परिस्थितियों मे कार्य रोकने के निर्देश प्राप्त होते हैं तो संबंधित ठेकेदार को शासन के निर्देशों के परिपालन में कार्य को रोकना होगा।
14. पंजीकृत ठेकेदार को निविदा क्रय करते समय पंजीकरण प्रमाण–पत्र (लाईसेन्स) साथ लाना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स बिना दिखाये निविदा फार्म दिया जाना सम्भव नहीं होगा। चालू वित्तीय वर्ष का जिला पंचायत पंजीकरण भी साथ लाना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा निविदा की दरें प्रतिशत में मान्य होंगी। एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
16. ऐसे ठेकेदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे हों और वे अनुबन्ध की शर्तानुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों अथवा कार्य की गुणवत्ता स्तरीय न रही हो, उसकी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–के पैरा 364 में दिये गये प्राविधानुसार निर्णय लिया जायेगा।
17. निविदा की दरें स्वीकृत प्राक्कलन की दरों से 5 प्रतिशत से अधिक / कम होने पर **'शासनादेश संख्या 6447 / iii(2)ii- 20(सा0) / 11 दिनांक 02 जनवरी 2013** के अनुसार **परफारमेन्स सिक्योरिटी** विभाग को डिपोजिट जमा करनी होगी।
18. यदि शासन / उच्च स्तर से किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं या उक्त कार्य को स्थगित किया जाता है तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार के किये गये कार्य के लिये ही भुगतान का दावेदार होगा तथा अवशेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. निविदा प्रपत्र भरते समय आयकर पैन नम्बर / जी.एस.टी.एन. नम्बर / मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा।
20. Defect Liability Period के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1426 / 111(2) / 11–20(सा0) / 11 दिनांक 28 फरवरी 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. निविदा लेने से पूर्व ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, अनुबन्ध करने के बाद कोई भी आपत्ति / क्लेम मान्य नहीं होगा।
22. यदि अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्त करने या खोलने के दिवस को राजकीय अवकाश घोषित होता है, उस स्थिति में निविदा प्राप्त / खोलने की प्रक्रिया की तिथि अगले कार्य दिवस को की जायेगी।
23. बिल पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा बिल की धनराशि में जोड़कर किया जायेगा, जिसको जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून।